कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

1018–जवाहर भवन, लखनऊ।

ई–मेल: dirtry@up.nic.in

दूरभाष: 0522–2286033,36,31,32,35

फैक्स: 0522–2286034

पत्र संख्या :447 कम्प्यू0 / 150 / पेंशनर्स कार्ड / 2022 / को0नि0

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 05 मई, 2022

विषय:– **प्रदेश के कोषागारों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के कोषागारों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक पेंशनर्स की सूचनायें प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड तैयार किये जाने हेतु पेंशनर्स से सूचनायें प्राप्त करने के लिये निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है :–

1. संबंधित कोषागारों द्वारा अपने पेंशनर्स से निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें प्राप्त की जायेंगी, जिसके साथ पेंशनर्स द्वारा अपनी स्वयं की एकल नवीनतम स्टाम्प साइज का कलर फोटो संलग्न किया जायेगा। पेंशनर्स द्वारा दी गई सूचनाओं का सत्यापन (पेंशन धारक का पैन कार्ड संख्या, पता, दूरभाष / मोबाइल संख्या को छोड़कर) पेंशनर्स डेटाबेस / पेंशनर की पत्रावली से करते हुए प्राप्त समस्त फॉर्म कोषागार निदेशालय को अग्रसारित किये जायेंगे। कोषागार निदेशालय द्वारा उक्त सूचनाओं की फीडिंग चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार तैयार किए गये डेटाबेस का सत्यापन CTS पैकेज में पूर्व से फीड पेंशनर्स डेटाबेस से सिस्टम आधारित प्रक्रिया के माध्यम से कराया जायेगा।
2. ऑनलाइन पद्वति से सूचनायें प्राप्त करने पर प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत पेंशनरों से समस्त सूचनायें केवल हार्ड कॉपी में ही ऑफलाइन प्राप्त की जायेगी।
3. उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात् चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा पेंशनर्स के स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड तैयार किये जायेंगे तथा उक्त

सूचनाओं को स्टोर करते हुए प्रत्येक कार्ड का QR कोड जेनरेट किया जायेगा, जो कार्ड पर मुद्रित होगा। प्रत्येक कार्ड पर कार्ड संख्या भी अंकित की जायेगी, जो सर्विस/पारिवारिक पेंशन (S/F), कोषागार कोड (दो अंक), विभाग कोड (तीन अंक) तथा कार्ड की क्रमांक संख्या (सात अंक) के अनुसार होगी।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड जनपदवार पैकेटिंग करते हुए कोषागार निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागारों द्वारा अपने जनपद से संबंधित पेंशनर्स के स्मार्ट फोटो आई0डी0 कार्ड कोषागार निदेशालय से प्राप्त करते हुए संबंधित पेंशनरों को वितरित कराया जायेगा।
5. कोषागारों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से संबंधित कोषागार में उस माह में कुल प्राप्त किये गये कार्ड के संबंध में प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।
6. समस्त कोषागारों द्वारा इसका प्रचार–प्रसार प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से तथा विभिन्न पेंशनर्स एसोसिएशन के माध्यम से किया जायेगा। कोषागार के सूचना पट्ट पर भी उक्त आशय की सूचना चस्पा कर इसका व्यापक प्रचार पेंशनर्स के मध्य कराया जायेगा।
7. समस्त कोषागार उपरोक्त कार्य हेतु अपने अधीनस्थ एक नोडल कार्मिक को नामित करने हुये उसके नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल की सूचना निदेशालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा सत्यापित फार्म यथाशीघ्र कोषागार निदेशालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार अग्रवाल)
निदेशक।

प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को स्मार्ट फोटो आई0डी0 दिये जाने हेतु प्रारूप

पेंशन धारक का फोटो

1. पेंशनर धारक का नाम : ....

2. कोषागार का नाम : ....

3. कोषागार इण्डेक्स संख्या : ....

4. अंतिम धारित पद : ....

5. कार्यालय / विभाग का नाम : ....

6. पेंशन धारक का पता : ....

7. दूरभाष / मोबाइल संख्या : ....

8. पेंशन धारक की जन्मतिथि : ....

9. पैन कार्ड संख्या : ....

10. पारिवारिक पेंशनर का नाम : ....

11. पेंशन धारक से संबंध : ....

☐ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है।

दिनांक :

पेंशनर का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापित